121(R)

भारत सरकार /GC F INDIA

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण RVEY OF INDIA

न्यू फिशिंग हार्बर, ससुन गोदी, कुलाबा/NEW F OUR, SASSOON DOCK, COLABA

मुम्बई /MUMBAI-400 005

फा सं 22-5/2022 हिन्दी दिनांक: 27.06.2022

परिपत्र

विषयः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 25.05.2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनुदेश के संबंध में ।

Instruction for effective implementation of the decision taken in the Town Official Language Implementation Committee meeting held on 25.05.2022 -Reg..

****

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 25.05.2022 को पश्चिम रेलवे (मुख्यालय), चर्चगेट, मुम्बई में संपन्न छमाही बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार निम्नलिखित अनुदेश/सुझाव अनुपालन हेतु जारी किए जाते है।

In pursuance of the decision taken in the Town Official Language Implementation Committee's Half Yearly meeting held on 25.05.2022 at Western Railway (Hqrs.) Churchgate, Mumbai, the following instructions/ suggestions are issued for compliance.

1. **राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का शत प्रतिशत अनुपालन**

   100% Compliance of section 3(3) of Official Language Act 1963

   राजभाषा अधिनियम- 1963 की धारा-3(3) के अंतर्गत सामान्य आदेश, ज्ञापन, सूचनाएं, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञाप्तियां, संविदाएं, करार, टेंडर, परमिट, प्रशासनिक या अन्य रपटें आदि द्विभाषी रुप में (उपर हिन्दी-नीचे अंग्रेजी) जारी करना अनिवार्य है । इस दस्तावेज़ो को एक अलग फोल्डर में सुरक्षित रखा जाना चाहिए । इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए । किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उपर्युक्त दस्तावेज़ो पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा । धारा 3(3) के उल्लंघन को संसदीय राजभाषा समिति बहुत गंभीरता से देखी जाएगी ।

   Under section 3(3) of Official Language Act 1963, General orders, Memorandum, Notices, Notifications, press communiques, Contracts and agreements, Tender, permits, administrative or other reports may be issued invariably in bilingual only. These documents should be kept in a separate folder safely. This may be complied strictly. For any violation the Officer signing the above documents will be held responsible. Violation of section 3(3) will be viewed seriously by the Parliament Committee on Official Language. **(कार्रवाईः सभी अनुभाग)**

2. **मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग (ई-मेल, आरेख एवं फैक्स आदि सहित)**

   Use of Hindi in original correspondence (including e-mail & fax)

   वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को क्रमशः 90%, 90% और 55% मूल पत्राचार हिन्दी में करना अनिवार्य है । राजभाषा नियमों के अनुसार मूल पत्राचार में 90% वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरुरत है ।

   As per the Annual Programme use of Hindi in original correspondence from the offices located in 'B' region to the offices located in Region 'A' & 'B' & 'C' should be 90%, 90%, 55% invariably in Hindi. To achieve the prescribed target of 90% in Original correspondence special attention is required as per the Official Language Rules. **(कार्रवाईः सभी अनुभाग)**

3. **राजाभाषा नियम -5 के अनुसार सभी क्षेत्रों से हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है ।**

   As per Official Language Rule-5 if any letter is received from all regions in Hindi, it should be replied invariably in Hindi. **(कार्रवाईः सभी अनुभाग)**

4. **हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना/The letters received in Hindi may be replied in Hindi**

   राजभाषा नियम-7/2 के तहत यदि अंग्रेजी के किसी पत्र एवं अभ्यावेदन/अपील पर हस्ताक्षर हिन्दी में किए गए हों तो उसका उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य है । इस नियम का पालन किया जाए ।

   Under Official Language Rule 7/2 if any letter/ representation/ appeal is signed in Hindi, it should be replied invariably in Hindi. This rule may be complied with. **(कार्रवाईः सभी अनुभाग)**

5. **हिंदी में टिप्पणियाँ/ Notings in Hindi .**

50% टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखना अनिवार्य है/ Noting should be done 50% in Hindi.

(कार्रवाईः सभी अनुभाग)

6. **हिंदी में प्रशिक्षित लिपिकों/आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग/Utilisation of services of trained Hindi clerks/Stenographers.**

प्रशिक्षित लिपिकों एवं आशुलिपिकों की सेवाओं का पूरा उपयोग किया जाए.

The services of trained Clerks/Stenographers may be fully utilised. (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

7. **'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिए ।**

The letters received in English from 'A' & 'B' region should be replied in Hindi.

संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हैं ।

As per the direction of Parliament Committee on Official Language, the letters received from the offices located in 'A' & 'B' region should be replied invariably in Hindi. (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

8. **रजिस्टरों/डायरियों/सेवा-पंजियों में हिन्दी में प्रविष्टियाँ/Entries in the registers/service books in Hindi.**

अनुभाग में प्रयुक्त किए जा रहें रजिस्टरों/डायरियों/सेवा-पंजियो में प्रविष्टियाँ हिन्दी में करना अपेक्षित है ।

Entries in the registers/service books being used in the section is required to be made in Hindi.

(कार्रवाईः सभी अनुभाग)

9. **सरकारी कामकाज में हिंदी के सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग**

Use of simple and common words in official work.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सरकारी कामकाज़ में सरल एवं प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाए ।

As per the orders issued by Ministry of Home Affairs simple and common words may be used in official work. (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

10. **कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की व्दिभाषी खरीद ।**

Purchase of computer & other equipments in bilingual.

राजभाषा नियम के अनुसार कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को व्दिभाषी रुप में खरीदना आवश्यक है ।

As per Official Language Rule all types of electronic equipments including computers should be purchased in bilingual only. (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

11. **हिन्दी में वेबसाइट तैय्यार किया जाए ।**

Website may be prepared in Hindi.

वेबसाइट हिन्दी में भी बनाया जाए और हिन्दी में सामग्री (यूनिकोड फोन्ट में) अंग्रेजी के साथ अपलोड की जाए ।

Website should be made in Hindi and the material in Hindi (Unicode font) may be uploaded along with English. (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

12. **विनिर्दिष्ट अनुभागों में शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करना ।**

Cent percent work in Hindi in specified section. (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

विनिर्दिष्ट अनुभागों अर्थात् कंप्यूटर अनुभाग, सांख्यिकी अनुभाग, स्थापना -।।। और लेखा अनुभागों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करें ।

Specified sections i.e. Computer Section, Statistics Section, E-III and Account Section may do cent percent work in Hindi. (कार्रवाईः विनिर्दिष्ट अनुभाग)

आर.जे.
27/06/22

(डॉ. आर. जयभास्करन)

महानिदेशक

सेवा में, कंप्यूटर अनुभाग

सभी अधिकारी/सभी अनुभाग